न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

यादराम पुत्र हरीचरण जाति गूजर निवासी ग्राम मूंडिया, थाना बालघाट जिला करौली हाल आर्मी नंबर 6935371 एवं हवलदार हिसार कैंट हरियाणा — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में दिनांक 03.01.2015 से पूर्व जमा कराये जाने है किन्तु अपीलाण्ट द्वारा समय सीमा में अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराने पर जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट के आधार पर न्याय अनुभाग के पत्रांक न्याय / 15 / 1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया था। इस निर्णय के खिलाफ रेस्पोण्डेण्ट अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 15.11.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली दर्ज पंजिका कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अपीलाण्ट ने अपने मौखिक जबाव कथन में निवेदन किया है कि वह तत्कालीन समय में भारतीय सेना में पदस्थापित होकर Operational Area अनंतनाग में कार्यरत थे जहां से उन्हें अवकाश नहीं मिल सका एवं शस्त्र उनके साथ ही था। इस कारण संबंधित थाने में समय पर जमा नहीं करवा पाया। इसके समर्थन में प्रभारी अधिकारी, प्रशासनिक एवं मोबाईल ग्रुप, 33 आर्म्ड डिव. ऑर्डिनेन्स यूनिट, का पत्रांक 8041/DO/ME/DOU दिनांक 28.12.2019 का उल्लेख किया है जो 33 आर्म्ड डिव. ऑर्डिनेन्स यूनिट ने सीधे ही इस न्यायालय में प्रेषित किया है। शस्त्र दिनांक 17.05.2017 से थाना बालघाट में जमा है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट द्वारा समय सीमा पर हथियार थाने में जमा नहीं कराने पर अन्य अनुज्ञापत्रों के साथ इसको भी नियमानुसार निलंबित किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

मेजर नीरज कुमार, प्रभारी अधिकारी, प्रशासनिक एवं मोबाईल ग्रुप, 33 आर्म्ड डिव. ऑर्डिनेन्स यूनिट, ने पत्रांक 8041/DO/ME/DOU दिनांक 28.12.2019 से अवगत करवाया है कि पंचायत चुनाव के दौरान यादराम Operational Area में पदस्थापित थे जहां से उनको अवकाश नहीं दिया गया था। इस दौरान उनका शस्त्र उनके साथ ही था

एवं यादराम आदेश क्रमांक 9356 दिनांक 29.12.2014 के पैराग्राम 1 एवं 2 के अनुसार छूट की श्रेणी में आता है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

हमनें उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में शस्त्र जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी आदेश के बिन्दु संख्या 1 व 2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह आदेश सैनिक बल के उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने हेतु अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हों तथा जो लंबे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं है। अपीलाण्ट सेना में कार्यरत हैं तथा उनके उस दौरान Operational Area में कार्यरत होने की वजह से अवकाश नहीं मिल पाया था जिसके कारण वो पंचायत चुनाव के दौरान राजस्थान नहीं आ पाये थे तथा शस्त्र उनके साथ ही था जिसकी पुष्टि मेजर नीरज कुमार, प्रभारी अधिकारी, प्रशासनिक एवं मोबाईल ग्रुप, 33 आर्म्ड डिव. ऑर्डिनेन्स यूनिट, के पत्रांक 8041/DO/ME/DOU दिनांक 28.12.2019 से होती है। अतः हम अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2015 क्रम संख्या 57 पर अंकित श्री यादराम पुत्र श्री हरिचरण जाति गुर्जर निवासी मूंडिया के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी का शस्त्र प्राधिकार पत्र संख्या 08/2002 बहाल किया जाता है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:37:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: